न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हेमाराम बनाम [illegible]

...व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख मु.नं. - 578/2017

से 9 रह गया। जिसके स्थान पर वादीगण संख्या 7 ता 9 को बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर वकील वादीगण को सुना जाकर दोनों प्रार्थना पत्रों को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधित किये जाने की स्वीकृति दी गई। वकील वादीगण ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण साक्ष्य में वादीगण गीगराज पुत्र गोरूराम उर्फ गोरा जाति माली के लिखितशुदा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 07.06.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

07.06.2023 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ति होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

07/06/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
143 / 2003	2017 / 001022	13.06.2003	07.06.2023
बी0टी0नं. 578 / 2017			

उनवान प्रकरण

1. हेमाराम पुत्र गौरूराम उम्र 83 वर्ष
2. सीताराम पुत्र सुरजाराम पौत्र गौरूराम उम्र 56 साल
3. रिछपाल पुत्र भागला उर्फ भागूराम पौत्र गौरूराम आयु 51 साल
4. धूडाराम पुत्र स्व0 भागला उर्फ भागूराम पौत्र गौरूराम उम्र 32 साल
5. गीगराज पुत्र गौरूराम उम्र 75 साल
6. पोखरराम पुत्र गौरूराम उम्र 68 साल
7. मु0 नानछी पत्नी स्व0 फूलाराम पुत्रवधू गौरूराम आयु 56 साल
8. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 फूलाराम पौत्र गौरूराम उम्र 33 साल
9. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 फूलाराम पौत्र गौरूराम उम्र 29 साल

   समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी मालियान तन् ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

10. मिश्री पुत्री गौरूराम पत्नी [illegible] उम्र [illegible] जाति माली निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी [illegible] तहसील/जिला श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

11. मेवा पुत्री गौरूराम पत्नी दोलतराम उम्र 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी ग्राम ढाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

12. सकरी उर्फ शांति पुत्री गौरूराम पत्नी बलवंतराज आयु 60 साल जाति माली निवासी झाडली तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवासी ढाल्यावास तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

वादीगण

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर कार्यालय तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. बृजमोहनसिंह उर्फ मोहनसिंह दत्तक पुत्र भूरसिंह उर्फ भूराराम आयु 63 वर्ष जाति सैनी निवासी ग्राम अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
3. पटवारी हल्का झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. पटवारी हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री बनवारी लाल कुड़ी एड0 वादीगण की ओर से।
श्री गजराज सिंह एड0 प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से।
भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि मृतक गौरू के 7 पुत्रों ने जन्म लिया था जो क्रमश: हेमाराम, सुरजाराम, भागाराम, गीगाराम, बृजमोहन उर्फ मोहनसिंह, पोखर व फूलचन्द है एवं इसके अलावा मृतक गौरू के तीन पुत्रियां क्रमश: मिश्री, मेवा व सकरी है। मृतक गौरूराम ने बृजमोहनसिंह उर्फ मोहनसिंह को इसकी बाल्यावस्था में ही जिस समय बृजमोहनसिंह प्रतिवादी नम्बर 2 की उम्र करीब 2–3 वर्ष की थी। भूरेसिंह सैनी को हिन्दू अधिनियम के अनुसार गोद दे दिया था एवम् गोद लेने–देने की रस्म अदा की थी। भूरेसिह उर्फ भूराराम मृतक गौरूराम का सगा चचेरा भाई था एवम् उसके कोई संतान नहीं थी एवं भूरेसिंह गौरूराम से करीब 20 वर्ष बडा था और भूराराम उर्फ भूरेसिंह के कोई संतान नहीं हुई। इसलिए उसने व उसकी पत्नी ने प्रतिवादी न0 2 को गौरूराम से व उसकी पत्नी से गोद ले लिया था व भूरसिंह शिवपुरी, मध्यप्रदेश में रहता था ओर गोद लेने के बाद में प्रतिवादी नम्बर 2 को भी अपने साथ शिवपुरी ले गया व वही पर उसका लालन–पालन किया व पढाया लिखाया व अपने साथ रखा। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 2 गौरूराम का वारिस नहीं है न ही गौरूराम की कृषि भूमि का विरासत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी नहीं है। मृतक गौरूराम भूमि खसरा नम्बर 3408 रकबा 1.56 है0 सम्पूर्ण व भूमि खसरा नम्बर 3477, 3478, 3480, 3782, 3783, 3785, 3786 कुल किता 7 रकबा 3.83 है0 तन् झाडली के 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज है व भूमि खसरा नम्बर 803 से 807 तन ग्राम रूपपुरा के 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज है और मृतक गौरूराम के वारिस वादीगण हैं और विरासत के अनुसार वादीगण गौरूराम के स्थान पर विवादग्रस्त भूमि अपने नाम से रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं एवं वादीगण नम्बर 10 से 12 मृतक गौरूराम की पुत्रियां है परन्तु अपने पारिवारिक संबंध मधुर रखने की नियत से वे गौरूराम की खातेदारी की भूमि अपने नाम दर्ज न कराकर वादीगण नम्बर 1 ता 9 के न[illegible] हिस्से के अनुसार दर्ज करवाना चाहती है। इस प्रकार मृतक गौ[illegible] 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 1, 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 2 [illegible]ाराम व 1/6 हिस्से की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादीगण न0 3 व 4 के व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 5 के व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 6 के नाम व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादीगण न0 7 ता 9 के नाम विरासतानुसार दर्ज की जानी है और प्रतिवादी तहसीलदार व प्रतिवादी न0 3 व 4 को मृतक गौरूराम की खातेदारी की भूमि मे से प्रतिवादी न0 2 बृजमोहन के नाम खातेदारी दर्ज करने का विरासत के अनुसार कोई अधिकार नही है। मृतक भूराराम उर्फ भूरेसिंह ने अपने जीवनकाल मे ग्राम रूपपुरा की भूमि खसरा नम्बर 527/2 प्रतिवादी न0 2 के नाम खरीद कर विक्रय लेख तस्दीक कराकर प्रतिवादी न0 2 के नाम खातेदारी दर्ज करवा दी थी। जो प्रतिवादी न0 2 ने अपने आपको भूरेसिंह का पुत्र दर्ज कराते हुए उक्त भूमि दिनांक 03.09.1979 को वादीगण नम्बर 7 ता 9 के पति व पिता मृतक फूलचन्द व शिम्भूराम पुत्र वादी हेमाराम व रामगोपाल पुत्र गीगाराम वादी के पुत्र को बेचान कर दी थी। जिसका विक्रय लेख दावा के साथ संलग्न हैं। इसके अलावा ग्राम उदलवास में भी भूरेसिंह उर्फ भूराराम ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी न0 2 के नाम से भूमि क्रय कर इसके नाम खातेदारी दर्ज करा दी थी और उक्त भूमि को भी प्रतिवादी न0 2 ने मेदा माली को विक्रय कर दी थी। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि बृजमोहनसिंह उर्फ मोहनसिंह प्रतिवादी न0 भूरेसिंह उर्फ भूराराम का गोद का पुत्र है और उसका विरासत के अनुसार मृतक गौरू की भूमि से कोई संबंध नहीं है। उक्त भूमियां वर्णित दावा की मद नम्बर 4 की कृषि भूमियों को बेचकर प्रतिवादी नं0 2 अमरसर (शाहपुरा) में आबाद हो गया और वहां तमाम सरकारी रिकार्ड में भूरेसिंह उर्फ भूरा का पुत्र दर्ज हैं। प्रतिवादी नं0 2 ने अपने गोद गृहिता पिता भूरेसिंह उर्फ भूरा के साथ बाल्यकाल में अपना जीवन शिवपुरी में बिताया था और वहीं पर शिक्षाग्रहण की थी और वहीं पर शादी भी की थी। परन्तु वहां वाली लडकी इसको छोडकर चली गई थी। इसलिए दूसरी शादी ग्राम अमरसर में की थी। प्रतिवादी न0 2 के शिक्षा रिकार्ड में भी जो उसने शिवपुरी में प्राप्त की है। वह भूरेसिंह उर्फ भूराराम का पुत्र दर्ज हैं। प्रतिवादी नम्बर 2 कभी भी ग्राम झाडली में आबाद नहीं रहा न वर्तमान में हैं। पिछले [illegible] रहा हैं। इससे पहले शिवपुरी में रहता हैं। प्रतिवादी नं0 2 काफी चालाक व्यक्ति हैं एवं गलत रूप से अपने आपको मृतक गौरू का पुत्र बताकर वादीगण के साथ विरासत के अनुसार नामान्तकरण में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता हैं और इस नाप[illegible] उद्देश्य की पूर्ति हेतू प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ... माधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 2 ने प्रतिवादीगण नं0 1 व 3, 4 को भी अपने साथ शामिल कर लिया है और उन्होने वादीगण को दिनांक 10.06.2003 को धमकी दी है कि वे वादीगण के साथ इस भूमि की खातेदारी में विरासत के अनुसार प्रतिवादी न0 2 का भी नाम दर्ज करेगें। इस बाबत सभी तथ्य वादीगण ने प्रतिवादीगण न0 1, 3 व 4 को प्रस्तुत कर दिये हैं परन्तु वे अपने पद को दुरूपयोग कर गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना चाहते हैं एवं प्रतिवादी नं0 2 ने दिनांक 06.06.2003 को धमकी दी है कि वह विवादग्रस्त भूमि में विरासत के अनुसार अपना नाम दर्ज करायेगा एवं वादीगण को इस भूमि से बेदखल करेगा व भूमि में अपना नाम दर्ज कराकर अन्य को अन्तरण करेगा व बैंक के रहन रखेगा। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अगर प्रतिवादी न0 2 मृतक गौरू की खातेदारी की भूमि में राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण विरासत के अनुसार अपना नाम दर्ज करा लेगा तो वादीगण को काफी हकतलफी होगी, अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढेगी एवं वादीगण के कानूनी अधिकारों पर भी विपरीत असर पडेगा। इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि मृतक गौरूराम के वैधानिक वारिसान वादीगण हैं एवं वादीगण विरासत के अनुसार भूमि ख0न0 3408 रकबा 1.56 है0 तन् झाडली संपूर्ण की खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी हैं व वादीगण नम्बर 10 ता 12 अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज न कराकर वादीगण नम्बर 1 ता 9 के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उपरोक्त ख0न0 के 1/6 हिस्सा का वादी न0 1 को, 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 2 सीताराम व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादीगण न0 3 व 4 के व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 5 के व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी न0 6 के नाम व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादीगण न0 7 ता 9 को बहिस्सा बराबर मृतक गोरूराम के स्थान पर खातेदार घोषित कर दिये जाने एवं भूमि ख0न0 3477, 3478, 3480, 3782, 3783, 3785, 3786 कुल किता 7 रकबा 3.83 है0 तन झाडली के 1/2 हिस्सा व भूमि ख0न0 803 से 807 कुल किता 5 रकबा 4.93 [illegible] रूपपुरा के 1/2 हिस्सा की खातेदारी जो मृतक गौरूराम [illegible] की खातेदारी विरासत के अनुसार 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी न0 1 को, 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी न0 2, 1/12 हिस्से की खातेदारी वादीगण न0 3 व 4 को बहिस्सा बराबर, 1/12 हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

2021/06/27

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की खातेदारी वादी न0 5 के व 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी न0 6 के व 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी न0 7 लगायत 9 को बहिस्सा बराबर–बराबर मृतक गोरूराम के स्थान पर खातेदार घोषित कर दिया जावे एवं प्रतिवादी नं0 2 का मृतक गौरूराम की खातेदारी में विरासत के अनुसार कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है एवं न ही प्रतिवादी न0 2 मृतक गौरूराम का पुत्र हैं बल्कि यह भूरेसिंह उर्फ भूराराम का दत्तक पुत्र हैं एवं वादीगण न0 10, 11, 12 अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज न कराकर वादीगण नम्बर 1 ता 9 के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 3 व 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि मृतक गौरूराम की खातेदारी की भूमि ख0न0 3408 रकबा 1.56 है0 तन् झाडली संपूर्ण व भूमि ख0न0 3477, 3478, 3480, 3782, 3783, 3785, 3786 कुल किता 7 रकबा 3.83 है0 तन झाडली के 1/2 हिस्सा व भूमि ख0न0 803 से 807 कुल किता 5 रकबा 4.93 है0 तन ग्राम रूपपुरा के 1/2 हिस्सा की खातेदारी की भूमि के नामान्तकरण में विरासत के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 2 का नाम दर्ज न करे न इसके नाम से नामान्तकरण भरकर तस्दीक करावे, न प्रतिवादी न0 2 को मृतक गौरू की खातेदारी की भूमि में विरासत के अनुसार खातेदार दर्ज करे प्रविताटी न0 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह अपने आपको मृतक गौरूराम का पुत्र बताकर अपने नाम से खातेदारी दर्ज नहीं करावे न प्रतिवादी न0 2 अपने नाम से खातेदारी दर्ज करावे न दीगर के नाम अन्तकरण करें न प्रतिवादी न0 2 वादीगण के कब्जा काश्त मजाहमत करें। वादीगण द्वारा वाद बाबत ईस्तकरार एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 की तामील सम्यक रूप से हो चुकी हैं। बावजूद तामील के कोई हाजिर अदालन नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] लाई जाती हैं। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री श्रवण कुमार या[illegible] एड0 [illegible] वकालतनामा पेश किया। वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र [illegible] राजीनामा तस्दीक कराने बाबत पेश किये जाने पर पत्रावली आगामी पेशी 05.04.2023 से पूर्व तलब होकर दिनांक 27.03.2023 को पेश हुई। उपस्थित वादीगण गीगराज, सीताराम, रिछपाल, पोखर, राजेन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (सीकर)

02/06/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

की पहचान एवं शेष वादीगण की ओर से वादीगण वकील श्री बनवारी लाल कुडी एड0 ने राजीनामा स्वीकार किया एवं उपस्थित प्रतिवादी संख्या 2 की पहचान श्री गजराज सिंह दूधवाल एड0 ने की। जिसे पक्षकारान के द्वारा सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। वादीगण साक्ष्य में वादीगण हेमाराम पुत्र गौरूराम का मुख्य परीक्षण शपथ पत्र एंव वादीगण साक्ष्य गवाहान् में गीगराज पुत्र गोरूराम उर्फ गोरा के लिखितशुदा मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया। वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी संख्या 4 धूडाराम, वादी संख्या 8 राजेन्द्र कुमार व वादी संख्या 9 महेन्द्र कुमार वादपत्र प्रस्तुत करते समय नाबालिग होने से जरिये सरंक्षक लिखा गया था। जो वर्तमान में बालिग हो जाने से उनके नाम के सामने से जरिये सरंक्षक का नाम हटाकर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने तथा वादीगण राजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार पुत्रगण फूलचन्द के स्थान पर पिता का नाम फूलाराम संशोधित किये जाने एंव एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का पेश कर दावा की मद नम्बर 14 की (क) पेज नम्बर 9 में वादीगण नम्बर 7 व 8 दर्ज हुआ है। इसमें सहवन से टाईप मिस्टेक से 9 रह गया। जिसके स्थान पर वादीगण संख्या 7 ता 9 को बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर वकील वादीगण को सुना जाकर दोनों प्रार्थना पत्रों को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वांछित संशोधित किये जाने की स्वीकृति दी गई। वकील वादीगण ने पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा के अनुसार वादपत्र को अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादी ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकील वादीगण के निवेदन एंव वकील प्रतिवादीगण की अनापत्ति के आधार बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहुपक्षीय सुनी गई।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार भूमि ख0न0 3408 रकबा 1.56

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हैक्टर तन् झाडली संपूर्ण की खातेदारी अपने नाम से दर्ज कराने के अधिकारी हैं व वादीगण नम्बर 10 ता 12 अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज न कराकर वादीगण नम्बर 1 ता 9 के नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बर के 1/6 हिस्सा का वादी नम्बर 1 को 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 2 सीताराम व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादीगण नम्बर 3 व 4 के व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 5 के व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 6 के नाम व 1/6 हिस्से की खातेदारी वादीगण न0 7 ता 9 को बहिस्सा बराबर मृतक गोरूराम के स्थान पर खातेदार घोषित कर दिया जावे एवं भूमि खसरा नम्बर 3477, 3478, 3480, 3782, 3783, 3785, 3786 कुल किता 7 रकबा 3.83 है0 तन झाडली के 1/2 हिस्सा व भूमि खसरा नम्बर 803 से 807 कुल किता 5 रकबा 4.93 है0 तन ग्राम रूपपुरा के 1/2 हिस्सा की खातेदारी जो मृतक गौरूराम के नाम दर्ज हैं। उपरोक्त ख0न0 की खातेदारी विरासत के अनुसार 1/12 हिस्सा की खातेदारी वादी न0 1 को, 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 2, 1/12 हिस्से की खातेदारी वादीगण नम्बर 3 व 4 को बहिस्सा बराबर, 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 5 के व 1/12 हिस्से की खातेदारी वादी नम्बर 6 के व 1/12 हिस्से0 की खातेदारी वादी नम्बर 7 लगायत 9 को बहिस्सा बराबर–बराबर मृतक गोरूराम के स्थान पर खातेदार घोषित कर दिया जावे एवं प्रतिवादी नं0 2 का मृतक गौरूराम की खातेदारी में विरासत के अनुसार कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है एवं न ही प्रतिवादी नम्बर 2 मृतक गौरूराम का पुत्र हैं बल्कि यह भूरेसिंह उर्फ भूराराम का दत्तक पुत्र हैं एवं वादीगण न0 10, 11, 12 अपना हिस्सा अपने नाम दर्ज न कराकर वादीगण नम्बर 1 लगायत 9 के नाम दर्ज कराने की अधिकारी हैं। वादीगण साक्ष्य में वादीगण हेमाराम पुत्र गौरूराम का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र एंव वादीगण साक्ष्य गवाहान् में गीगराज पुत्र गोरूराम उर्फ गोरा जाति माली निवासी ढ़ाणी मालियान् तन् ग्राम झाड़ली के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एंव स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: Self Attested

(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर) — मुहर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् ईस्तकरार एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3408 रकबा 1.56 हैक्टर तन् ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर के गोरूराम के स्थान पर वादी नम्बर 01 को 1/9 हिस्सा का, वादी नम्बर 02 को 1/9 हिस्सा का, वादी नम्बर 3 को 1/18 का, वादी नम्बर 04 को 1/18 हिस्सा का, वादी नम्बर 05 को 1/9 हिस्सा का, वादी नम्बर 06 को 1/9 हिस्सा का, वादीया नम्बर 07 को 1/27 हिस्सा का, वादी नम्बर 08 को 1/27 हिस्सा का, वादी नम्बर 09 को 1/27 हिस्सा का, वादीया नम्बर 10 को 1/9 हिस्सा का, वादीया नम्बर 11 को 1/9 हिस्सा का, वादीया नम्बर 12 को 1/9 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तथा उक्त खसरा नम्बर से गोरूराम का नाम हजफ किया जाता हैं। इसी अनुसार भूमि खसरा नम्बर 3477, 3478, 3480, 3782, 3783, 3785, 3786 कुल किता 7 रकबा 3.83 हैक्टर तन् झाडली के 1/18 हिस्से का वादी नम्बर 01 को, वादी नम्बर 2 को 1/18 हिस्सा का, वादी नम्बर 03 को 1/36 हिस्सा का, वादी नम्बर 04 को 1/36 हिस्सा का, वादी नम्बर 05 को 1/18 हिस्सा का, वादी नम्बर 06 को 1/18 हिस्सा का, वादीया नम्बर 07 को 1/54 हिस्सा का, वादी नम्बर 08 को 1/54 हिस्सा का, वादी नम्बर 09 को 1/54 हिस्सा का, वादीया नम्बर 10 को 1/18 हिस्सा का, वादीया नम्बर 11 को 1/18 हिस्सा का, वादिया नम्बर 12 को 1/18 हिस्सा का तथा गोरूराम उर्फ गोरा को 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा मृत्तक गोरूराम उर्फ गोरा का नाम 1/2 हिस्सा से हजफ किया जाता है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 803 से 807 कुल किता 5 कुल रकबा 4.93 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा तहसील श्रीमाधोपुर का वादी नम्बर 01 को 1/18 हिस्सा का खातेदार, वादी नम्बर 02 को 1/18 हिस्सा का, वादी नम्बर 03 को 1/36 हिस्सा का, वादी नम्बर 04 को 1/36 हिस्सा का, वादी नम्बर 05 को 1/18 हिस्से का, वादी नम्बर 06 को 1/18 हिस्सा का, वादीया नम्बर 07 को 1/54 हिस्सा का, वादी नम्बर 08 को 1/54 हिस्सा का, वादी नम्बर 09 को 1/54

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्सा का, वादीया नम्बर 10 को 1/18 हिस्सा का, वादीया नम्बर 11 को 1/18 हिस्सा का, वादीया नम्बर 12 को 1/18 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरा नम्बर के 1/2 हिस्सा से मृतक गोरूराम का नाम हटाये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

07/06/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

07/06/23
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:43:09 IST
Reason: SelfAttested